



-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 19.11.2024

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ आपरेशन कन्विक्शन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरूप अलग-अलग 04 मामलों में कुल 06 अभियुक्तों को 17000/ रुपये के जुर्माने से कराया गया दण्डित ।

विवरण –पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान आपरेशन कन्विक्शन के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल के कुशल निर्देशन में अलग-अलग 04 मामलों में कुल 06 अभियुक्तों को 17000/ रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया जिनका विवरण निम्न है-

अभियोग-

- 1) थाना को0 नगर पर पंजीकृत अभियोग- 265/1998 धारा 323/504/325 भादवि के अभियुक्त राजु श्रीवास्तव पुत्र रामस्वरूप निवासी दुबे जी की बिल्डिंग थाना को0 नगर जनपद बांदा को जुर्म स्वीकार करने पर **3000/ रुपये के जुर्माने** से दण्डित कराया गया ।
- 2) थाना पैलानी पर पंजीकृत अभियोग- 132/2009 धारा 323/504/506 भादवि के दो अभियुक्तों 1. संजय सिंह पुत्र रामकृष्ण परिहार तथा 2. रामकृष्ण उर्फ रामकिशुन पुत्र रामाधार निवासीगण कुकुआखास थाना पैलानी जनपद बांदा को जुर्म स्वीकार करने पर **2000-2000/ रुपये के जुर्माने** से दण्डित कराया गया ।
- 3) थाना बिसण्डा पर पंजीकृत अभियोग- 54/2002 धारा 25 आयुध अधिनियम के अभियुक्त विन्नु उर्फ विन्नु कुमार पुत्र रामसनेही निवासी ग्राम अकौना थाना बिसण्डा जनपद बांदा को जुर्म स्वीकार करने पर **3000/ रुपये के जुर्माने** से दण्डित कराया गया ।
- 4) थाना बिसण्डा पर पंजीकृत अभियोग- 54/2002 धारा 25 आयुध अधिनियम के अभियुक्त रामजस पुत्र रामऔतार निवासी ग्राम मिलाथू थाना बिसण्डा जनपद बांदा को जुर्म स्वीकार करने पर **3000/ रुपये के जुर्माने** से दण्डित कराया गया ।
- 5) थाना बिसण्डा पर पंजीकृत अभियोग- 212/1993 धारा 25 आयुध अधिनियम के दो अभियुक्तों 1. पप्पु पुत्र रामनारायण सिंह तथा 2. गुड्डा पुत्र रामनारायण सिंह निवासीगण ग्राम अजीतपारा थाना बिसण्डा जनपद बांदा को जुर्म स्वीकार करने पर **2000-2000/ रुपये के जुर्माने** से दण्डित कराया गया ।